न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 104 / 2019

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. मांगसिंह पुत्र देरामसिंह
2 बाबूसिंह पुत्र देरामसिंह
3 भवरसिंह पुत्र देरामसिंह
4 नारायणसिंह पुत्र गुणेशसिंह
5 मानसिंह पुत्र गुणेशसिंह
6 ओमसिंह पुत्र गुणेशसिंह जाति पुरोहित निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 आदुराम पुत्र राजुराम
2 दानाराम पुत्र राजुराम
3 कालूराम पुत्र सोनाराम
4 चंदाराम पुत्र सोनाराम
5 किशनाराम पुत्र सोनाराम
6 दामाराम पुत्र विरमाराम
7 राउराम पुत्र विरमाराम
8 बाबूराम पुत्र विरमाराम
9 भगाराम पुत्र विरमाराम
10 मोहनराम पुत्र विरमाराम
11 पारू पत्नी विरमाराम
12 उकाराम पुत्र जोधाराम
13 कवरराम पुत्र कानाराम
14 पुजाराम पुत्र कानाराम
15 अमरराम पुत्र कानाराम
16 पाबूराम पुत्र कानाराम
17 बाबूलाल पुत्र कानाराम
18 दूदाराम पुत्र उर्जाराम
19 टीकमाराम पुत्र मगाराम
20 बीजाराम पुत्र मगाराम
21 पेम्पों देवी पत्नी मगाराम
22 चुनी देवी पत्नी मोडाराम
23 ताजाराम पुत्र अणदाराम
24 सवाराम पुत्र अणदाराम
25 चतराराम पुत्र अणदाराम
26 [illegible] पुत्र कालुराम
27 [illegible] पुत्र कालुराम विप्रार्थी संख्या 26 व 27 नाबालिग की वलिया कुदरती वलिया माता विप्राथी संख्या 28 सुआदेवी
28 सुआदेवी पत्नि कालूराम जाति मेगवाल निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested

29 शाखा प्रबन्धक एस.बी. बी.जे शाखा सिणधरी
30 तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, वकील प्राथीगर्ण की ओर से।

3. पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक– 09.09.2025

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 138–08 बीधा ग्राम गादेसरा तहसील सिणधरी उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 88 व 86 मे से होकर आवागमन हेतु प्रस्तुत प्रकरण में बाद सुनवाई न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.01.2024 के जरिये स्वीकार कर कटाण मार्ग प्रशस्त किया गया। कि न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदारामद किये जाने के विरूद्ध अपीलांट (प्रार्थीगण) द्वारा माननीय राजस्व अपील बाड़मेर में प्रस्तुत अपील सं. 17/2024 मांगसिंह बनाम आदुराम में निर्णय दिनांक 04.06.2025 के जरिये प्रकरण रिमाण्ड किया गया।

2.माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के निर्णय की पालना में रिमाण्ड प्रकरण पुनः करते हुए विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस के तथ्यों में कथन किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 138.08 बीघा ग्राम गादेसरा पटवार [illegible] सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खे[illegible]सरा [illegible]या 86 व 88 मे से होकर आवागमन हेतु प्रस्तुत प्रकरण [illegible] बाद सुनवाई न्या[illegible] के निर्णय दिनांक 21.01.2024 के जरिये स्वीकार कर [illegible] मार्ग [illegible] किया गया। कि न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदारामद किये जाने के विरूद्ध विप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील बाड़मेर में प्रस्तुत अपील सं. 17/2024 मांगसिंह बनाम आदुराम में निर्णय दिनांक 04.06.2025 के जरिये प्रकरण रिमाण्ड किया गया। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष की बाद सुनवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रिमाण्ड प्रकरण में मौका स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त की। तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत ग्राम गादेसरा के खसरा नम्बर 82 से सरकारी कटाण मार्ग तक पंहुचने हेतु इसी ग्राम के खसरा नम्बर 86 व 88 से रास्ते हेतु पूर्व में स्वीकार कर निर्णय दिनांक 21.01.2024 के जरिये कटाण मार्ग स्वीकृत किया गया, परन्तु उक्त स्वीकृत रास्ते हेतु कटाण भूमि पर विप्रार्थीगण द्वारा पक्के निर्माण इत्यादि के बंद कर दिये जाने से इन्ही खसरान् की भूमि में विपरित दिशा जो कि तत्समय प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन के सलंग्न परिशिष्ट– अ में रास्ते की मांग हेतु प्रस्तावित भूमि को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त वर्तमान मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक दिनांक 01.09.2025 के आधार पर नया कटाण मार्ग स्वीकार किया जाकर आवेदन का निर्णय पारित किया जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 30 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 138.08 बीघा ग्राम गादेसरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 86 व 88 मे से होकर आवागमन हेतु प्रस्तुत प्रकरण में बाद सुनवाई न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.01.2024 के जरिये स्वीकार कर कटाण मार्ग प्रशस्त किया गया। कि न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदारामद किये जाने के विरूद्व विप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील बाड़मेर में प्रस्तुत अपील सं. 17/2024 मांगसिंह बनाम आदुराम में निर्णय दिनांक 04.06.2025 के जरिये प्रकरण रिमाण्ड किया गया। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष की बाद सुनवाई रिमाण्ड प्रकरण में मौका स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त की। तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत ग्राम गादेसरा के खसरा नम्बर 82 से सरकारी कटाण मार्ग तक पंहुचने हेतु इसी ग्राम के खसरा नम्बर 86 व 88 से रास्ते हेतु पूर्व में स्वीकार कर निर्णय दिनांक 21.01.2024 के जरिये कटाण मार्ग स्वीकृत किया गया, परन्तु उक्त स्वीकृत रास्ते हेतु कटाण भूमि पर विप्रार्थीगण द्वारा पक्के निर्माण इत्यादि के बंद कर दिये जाने से इन्ही खसरान् की भूमि में विपरित दिशा जो कि तत्समय प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन के सलंग्न परिशिष्ट– अ में रास्ते की मांग की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 16:21:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है पूर्व में सवीकृत कटाण मार्ग पर विप्रार्थीगण की रहवासी ढाणी यथा टांके इत्यादि निर्मित होने से अब नये सिरे से प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है। इस प्रकार रास्ते हेतु पूर्व में निर्णय के स्थान पर इन्हीं खसरान् में अन्य प्रस्तावित भूमि के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का रिमाण्ड प्रकरण स्वीकार किया जाकर ग्राम गादेसरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 88 रकबा 11.1157 हैक्टयर में लम्बाई 142.67 मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0856 तथा खसरा संख्या 86 रकबा 2.6373 हैक्टयर में लम्बाई 47.17 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0283 हैक्टयर सकल रकबा 0.1139 हैक्टयर भूमि मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में (बिन्दु सं. A से B) बरंग हरा ---दरसाये परिक्षेत्र अनुसार रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 323000/- प्रति हैक्टयर की गणना अनुसार प्राथीगर्ण द्वारा विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि-73600/-अक्षरे तिहत्तर हजार छः सौ रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी मे संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार का रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./2025/1903 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी